UPJL010053912025

न्यायालयः जिला जज, जालौन स्थान उरई।
पीठासीनः विरजेन्द्र कुमार सिंह, एच0जे0एस0,

प्रकीर्ण वाद संख्या 84/2025

श्रीमती संगीता राय आदि प्रति जेसिका राय आदि

14.03.2026

1. पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। आवेदिका श्रीमती संगीता राय की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 372, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका के पति जितेन्द्र कुमार उर्फ जितेन्द्र राय की मृत्यु दिनांक 05.06.2024 को हो गई है। आवेदक संख्या 2 वैभव राय एवं विपक्षी सं0 1 जेसिका राय मृतक के पुत्र व पुत्री हैं। मृतक द्वारा मृत्यु उपरांत छोड़ी गयी सम्पत्ति जिसका विवरण पैरा 6 में दिया गया है, के सम्बन्ध में अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की याचना की गयी है।

2. विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। मुनादी व प्रकाशन कराया गया, किन्तु मुनादी व प्रकाशन कराये जाने के बावजूद भी विपक्षी संख्या अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी।

3. आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि आवेदिका के पति जितेन्द्र कुमार उर्फ जितेन्द्र राय की मृत्यु दिनांक 05.06.2024 को हो गई है। आवेदक संख्या 2 वैभव राय एवं विपक्षी सं0 1 जेसिका राय मृतक के पुत्र व पुत्री हैं। आवेदकगण व विपक्षी संख्या 1 के अलावा अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी मृतक का नहीं है। आवेदिका की ओर से अपने कथन के समर्थन में सूची 6ग1 से आवेदिका व आवेदक संख्या 2 के आधार कार्ड की छाया प्रतियॉ कागज संख्या 7ग1/1 व 7ग1/2, मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति कागज संख्या 8ग1, उपजिलाधिकारी कोंच जनपद जालौन द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र की छाया प्रति कागज संख्या 9ग एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 उरई द्वारा निर्गत पत्र की छाया प्रति छायाप्रति कागज संख्या 10ग1 प्रस्तुत किये गये हैं।

4. विपक्षी संख्या–1 की ओर से अनापत्ति कागज संख्या 14ख मय शपथ पत्र प्रस्तुत की गयी है, जिसमें विपक्षी द्वारा मृतक जितेन्द्र कुमार उर्फ जितेन्द्र राय द्वारा मृत्यु उपरांत छोड़ी गयी सम्पत्ति के संबंध में आवेदिका के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने की सहमति व्यक्त की गयी है। आवेदिका ने स्वंय का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या 20ख बतौर पी0डब्लू0–1 के रूप में दाखिल किया है, जिसमें उसने मुख्य रूप से कथन किया गया है कि आवेदिका मृतक की पत्नी तथा आवेदक संख्या 2

Digitally signed by VIRJENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.31 19:35:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मृतक का पुत्र एवं विपक्षी संख्या 1 मृतक की पुत्री है आवेदिका व विपक्षी संख्या 1 मृतक के विधिक उत्तराधिकारी हैं। मृतक की मृत्यु दिनांक 05.06.2024 को हो गई है तथा मृत्यु के समय उनका कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग उरई जनपद जालौन में ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन था तथा विभाग के पत्र संख्या 2883/2 एमजी दिनांकित 10.09.2025 के अनुसार मुव0 4,17,720/–रूपये मृतक की भुगतान हेतु पड़ी है, जिसके भुगतान हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत करने की याचना की गयी है।

5. अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट है कि आवेदक संख्या श्रीमती संगीता राय व आवेदक संख्या 2 वैभव राय तथा विपक्षी सं0–1 मृतक जितेन्द्र कुमार उर्फ जितेन्द्र राय के उत्तराधिकारी हैं। चूँकि विपक्षी सं0 1 के द्वारा आवेदिका के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु सहमति व्यक्त की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका श्रीमती संगीता राय पत्नी स्व0 जितेन्द्र कुमार उर्फ जितेन्द्र राय की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3ख, अन्तर्गत धारा 372, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 स्वीकार किया जाता है। आवेदन पत्र के पैरा 6 में वर्णित कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0 विभाग, उरई जनपद जालौन के पत्रांक 2883/2एमजी दिनांकित 10.09.2025 में वर्णित मृतक जितेन्द्र कुमार उर्फ जितेन्द्र राय की धनराशि मुव0 4,17,720/रूपये (चार लाख सत्रह हजार सात सौ बीस) मय ब्याज के संबंध में आवेदिका श्रीमती संगीता राय के पक्ष में नियमानुसार देय न्याय शुल्क अदा करने के उपरान्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये।

आवेदिका श्रीमती संगीता राय को आदेशित किया जाता है कि वह इस आशय की अण्डर टेंकिग न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे कि यदि मृतक के किसी अन्य नजदीकी वारिस द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर आपत्ति की जाती है, तो वह इस उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को न्यायालय को समर्पित करेगी तथा यदि उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के माध्यम से कोई धनराशि आहरित की गई है, तो वह आहरित उक्त धनराशि मय 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज न्यायालय में जमा करेगी।

दिनांक 14.03.2026

(विरजेन्द्र कुमार सिंह)
जिला जज,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ.कोड यू.पी.–6525